सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– **693**

02/09/2017

मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 02 सितम्बर 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में कल देर शाम तक खान एवं भूतत्व तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

प्रधान सचिव खान एवं भूतत्व विभाग श्री के0के0 पाठक ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की जाय जो थोक बिक्रेता के रूप में बालू, पत्थर, ईंट, स्टोन चिप्स, साधारण मिट्टी इत्यादि के बिक्रय हेतु प्रत्येक जिला में भंडार गृह स्थापित कर थोक बिक्रेता के रूप में कार्य करेगी ताकि इसके मूल्य को नियंत्रित किया जा सके तथा नदी के पर्यावरणीय सुरक्षा एवं अविरलता को अक्षुण्ण रखा जाय। राज्य के समस्त पत्थर एवं बालू बंदोबस्तधारियों को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार धर्मकॉटा स्थापित करना अनिवार्य होगा। अवैध खनन पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने हेतु पर्यवेक्षकीय स्तर के सहकारिता विभाग से प्राप्त 25 निरीक्षकों के अतिरिक्त 25 और निरीक्षक अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली जायेगी। पुलिस महानिदेशक को मुख्यमंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन को पूर्णरूप से नियंत्रित करने हेतु 500 सैप जवान खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया जाय। कार्य विभागों में संवेदकों के विपत्रों से व्यवहृत लघु खनिजों पर स्वामित्व वसूली की प्रथा को सरलीकरण किया जायेगा एवं एकमुश्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी सरचार्ज के रूप में कटौती की जायेगी।

सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री पंकज कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के समक्षण विभाग से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन की समीक्षा की गयी, जिसमें पुर्नगठन किये जाने से संबंधित प्रगति से अवगत होते हुए निगम के स्तर पर लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था एवं अधिप्राप्ति व्यवस्था को पृथक रूप से संरचना तैयार कर स्थापित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस पर वांछित कार्रवाई शीघ्र करने का भी निदेश दिया गया। जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि राज्य में बिजली की व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। किरासन तेल वितरण की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाय एवं अनुदानित किरासन तेल की ढुलाई करने वाले टैंकरों में जी0पी0एस0 का अधिष्ठापन करने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। सचिव ने बताया कि डोर स्टेप डिलेवरी के अंतर्गत प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों में जी0पी0एस0 प्रणाली एवं लोड शेल की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के साथ समुचित पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निदेश दिया गया एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी समय पर खाद्यान्न वितरित करने का निर्देश दिया गया। ई0–पी0ओ0एस0 अधिष्ठापन के संबंध में बेल्ट्रॉन से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बेल्ट्रॉन

के माध्यम से ही पूर्ण रूप से ही पी0ओ0एस0 को अधिष्ठापित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया। लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के निरीक्षण/पर्यवेक्षण निर्धारित समयानुसार राज्य के लाभुकों को अनुदानित खाद्यान्न मुहैया कराने के समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किस प्रकार की जा रही है, इसकी समीक्षा प्रत्येक माह की जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की जॉच के क्रम में कितने जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को दोषी पाया गया है एवं उक्त के आलोक में कितने पर कार्रवाई सुनिश्चित की गयी तथा कितने जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को दोषमुक्त करार दिया गया है, इसकी पूर्ण समीक्षा की जाय एवं इस संदर्भ में यदि किसी प्रकार की त्रुटी राज्य स्तर पर परिलक्षित होती है तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

सचिव ने बताया कि राज्य के सामान्य उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा के लिए अधिष्ठापित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलो में स्थापित कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में परिवादों की संख्या संतोषप्रद नही है इसलिए उपभोक्ता से संबंधित अधिकारों का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने की कार्रवाई की जाय ताकि राज्य के सुदूर इलाकों में भी प्रत्येक उपभोक्ता अपने अधिकारों के रक्षा हेतु संबंधित जिला फोरमों में परिवाद दाखिल कर सके। राज्य सरकार द्वारा अधिष्ठापित महत्वपूर्ण योजना पी0जी0आर0ओ0 की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रत्येक स्तर पर पी0जी0आर0ओ0 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों को पी0जी0आर0ओ0 को स्थानांतरित कर उसके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही पी0जी0आर0ओ0 के स्तर से परिलक्षित अनियमितता की जॉच विभाग स्तर पर सुनिश्चित कर शिथिलता बरतने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए समुचित विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। राज्य के विभिन्न जिलों में अधिप्राप्ति एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु गोदामों की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया है कि राज्य के वैसे स्थान जहॉ अब तक गोदाम निर्माण नही हो पाया है, उसे निश्चित समय–सीमा के अंतर्गत चिन्हित किया जाय एवं उन स्थानों पर गोदामों का निर्माण कराया जाय। साथ ही राज्य अंतर्गत राज्य भंडार निगम के द्वारा निर्मित खाली गोदामों को भी ससमय प्राप्त कर उसको उपयोग में लाये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दुकानों के निरीक्षण को और प्रभावी बनाया जाय एवं विभाग स्तर से मुख्यालय के पदाधिकारियों के माध्यम से भी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कराकर प्रभावी कार्रवाई की जाय।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, संबंधित विभाग के मंत्री– खान एवं भूतत्व मंत्री श्री बिनोद कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित खान एवं भूतत्व तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

****